

अधिशेष	गई सेनवेट क्रेडिट	की गई क्रेडिट	
(1)	(2)	(3)	(4)

5. उत्पाद शुल्क वाले वस्तुओ पर भुगतान किए गए शुल्क का ब्यौरा :

इयूटी कोड	इनपुट सर्विस क्रेडिट के द्वारा भुगतान किया गया शुल्क	नकद रूप में भुगतान किया गया शुल्क	चालान संख्या भुगतान किया गया कुल शुल्क	चालान सख्या	तारीख	बैंक कोड	शाखा कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सेनवेट							

6. किए गए अन्य भुगतानों का ब्यौरा :

भुगतान	राशि (रू. में)	चालान सं.	तारीख	बैंक कोड	शाखा कोड	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)						

7. स्व-आकलन ज्ञापन :

- (क) मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं/ करती हूं कि इस रिटर्न में दी गई जानकारी सत्य, सही और हर दृष्टि से पूर्ण है और मैं निर्धारिती की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं।
- (ख) इस तिमाही के दौरान कुल ----- रुपये, जीएआर7 चालान (प्रति संलग्न) के माध्यम से जमा किए गए हैं।
- (ग) इस तिमाही के दौरान बीजक जिनकी क्रम सं. _____ से क्रम सं. _____ तक है जारी किए गए थे।

तारीख :

स्थान :

(क) निर्धारिती या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का नाम और हस्ताक्षर

पावती

इस तिमाही के दौरान 1% या 2% की दर से क्लियर किए गए उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं से संबंधित रिटर्न
MMMYYYY से : MMMYYYY तक :

	D	D		M	M		Y	Y	Y	Y
प्राप्ति की तारीख										

रैंज अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

निर्देश

- 15 अंक वाले पेन आधारित पंजीकरण संख्या तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित नाम को दर्शाएं
- यदि एक से अधिक मदों का विनिर्माण हुआ है तो प्रत्येक सारणी में, जहां कहीं भी जरूरी हो अतिरिक्त पंक्ति जोड़ सकते हैं।
- यदि वस्तुओं को बंधपत्र के तहत निर्यात किए जाने के लिए क्लियर किया गया है तो ऐसे क्लियरेंस का ब्यौरा अलग से दें।
- सीईटीएसएच कॉलम में 8 अंक वाले सीईटीएसएच को दर्शाएं।
- जहां कहीं भी मात्रा कोड दिखाई दे नीचे दिए गए संबंधित संक्षेप लिखें।

मात्रा	संक्षेप	मात्रा	संक्षेप
सेंटीमीटर	सेमी.	मीटर	मी.

घन सेंटीमीटर	सेमी.3	वर्ग मीटर	मी.2
घन मीटर	मीटर3	मिलीमीटर	मिमी.
ग्राम	ग्राम	मीट्रिक टन	मी.ट.
किलोग्राम	किग्रा.	जोड़े की संख्या	जोड़ा
किलोलीटर	किली.	क्विंटल	क्वि.
लीटर	ली.	टन	ट.
संख्या 1000 में	ह.	संख्या	इ.

6. सारणी के कॉलम (10) में, क्रम सं. 3 में, आकलन मूल्य से अभिप्राय,
- (क) जहां पर वस्तुओं पर मूल्यानुसार शुल्क लगता है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के अंतर्गत मूल्य;
- (ख) जहांकि वस्तुएं इस अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत आती हैं, इस अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत यथा प्रदत्त कटौती के पश्चात एमआरपी के अंतर्गत निकाला गया आकलन मूल्य;
- (ग) यदि वस्तुओं का टैरिफ मूल्य निर्धारित है तो ऐसा टैरिफ मूल्य। उदाहरणार्थ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषणों की वस्तुओं या आभूषणों की वस्तुओं के भाग या दोनों के मामले में अधिसूचना सं. 33 of 2016 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) तारीख 26.07.2016 के अंतर्गत निर्धारित सकल बिक्री मूल्यों का योग;
- (घ) बंधपत्र के तहत निर्यात वाले मामलों में, एआरई-1/ एआरई-2 बीजक मूल्य।
7. आभूषण की वस्तुओं या आभूषण की वस्तुओं के भाग दोनों के मामले में सारणी के कॉलम (4), (6), (7), (8) और (9) के क्रम सं. 3 से अभिप्राय कीमती धातुओं का भार ग्राम में और उसमें जड़े कीमती रत्नों का भार कैरेट में है।
8. अन्य भुगतान जैसे कि बकाया, ब्याज आदि का ब्यौरा क्रम सं. 6 में दें।

[फा.सं. 354/25/2016-टीआरयू (पार्ट-I)]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार